शासनादेश संख्या-1/482/35-3-2014

प्रेषक

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
बलरामपुर ।

नियोजन अनुभाग'- 3 **लखनऊ दिनांक 13 जून, 2014**

विषय- वर्ष 2014-15 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध विकास विभाग की परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद बलरामपुर हेतु दुग्ध् विकास विभाग की छः परियोजनाओं हेतु रू0 55.00 लाख (रू0 पचपन लाख मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 44.00 लाख (रू0 चवालीस लाख मात्र) की धनराशि नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1409/35-3-2013, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 द्वारा अवमुक्त की गयी थी। उक्त कार्यों की कार्यदायी संस्था - दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 नामित थी ।

जनपद- बलरामपुर हेतु दुग्ध विकास विभाग की उक्त स्वीकृत छः परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण किये जाने द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की जानी है । अतः श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपरोक्त परियोजना हेतु निम्न विवरण अनुसार अवशेष रू0 11.00 लाख की धनराशि नियोजन अनुभाग-3 के संदर्भित शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 में निर्धारित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(लाख रू0 में)

क्र.सं.	विकासखण्ड	परियोजना/जनपद का नाम-बलरामपुर	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय एवं अंतिम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि
		कार्यदायी संस्था- दुग्ध विकास विभाग			
1	गैसड़ी	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन दुहान हेतु आटोमेटिकमिलकिंग मशीन	4.50	3.60	0.90
2	गैसड़ी	कृषक प्रशिक्षण एवं टीकाकरण हेतु दवा वितरण एवं प्रशिक्षण	21.00	16.80	4.20
3	गैसड़ी	मिल्क बैच पाश्च्युराइजर प्लांट, खोया मेंकिग मशीन, मिल्क पैकिंग मशीन	18.00	14.40	3.60
4	गैसड़ी	इन्सुलेटिड मिल्क कैन	4.90	3.92	0.98
5	गैसड़ी	मिल्क बूथ/पार्लर	5.00	4.00	1.00
6	गैसड़ी	डीप फ्रिजर	1.60	1.28	0.32
		बलरामपुर-योग	55.00	44.00	11.00

http://snasanadesh.up.nic.in

2.1- अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा। परियोजना/योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।
2.2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।
2.3- अवमुक्त् धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढग से एवं विलम्बतम दिनांक 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जाय। अवमुक्त् धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह में अर्थात दिनांक 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुये व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2.4- अवमुक्त् धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।
2.5- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 आयोजनागत-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-102-डेरी विकास परियोजनायें-03- समितियों का गठन/ उपकरण/मशीन/ साज-सज्जा के लिये एकमुश्त व्यवस्था -20 -सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

<u>शासनादेश संख्या-482(1)35-3-2014 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद, उ0प्र0, महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, बलरामपुर।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/दुग्ध विकास अनुभाग-1
8- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।
9- अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलरामपुर।
10- राज्य योजना आयोग-1
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://sansanadesh.up.nic.in